न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बरः–122/25

कपूरचन्द पुत्र विहारी, जाति बाबाजी, निवासी निठारी, तहसील बयाना, जिला–भरतपुर (राज0)

———वादी/प्रार्थी

बनाम

1. सियाराम पुत्र विहारी, जाति बाबाजी, निवासी निठारी, तहसील बयाना, जिला–भरतपुर (राज0)
2. वेदप्रकाश पुत्र विहारी, जाति बाबाजी, निवासी निठारी, तहसील बयाना, जिला–भरतपुर (राज0)

———मूल प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

3. उप–पंजीयक बयाना, तहसील बयाना, जिला भरतपुर (राज0)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना

———शोभनार्थ प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज.टी.एक्ट आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 जा0 दी0 वसिलसिले वाद विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः– 11/8/25

उपस्थितिः– श्री देवकीनन्दन शर्मा एड प्रार्थी
श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा एड0 मूल अप्रार्थीगण

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज.टी.एक्ट आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 जा0 दी0 वसिलसिले वाद विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज.टी.एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि खाता संख्या नया 259, पुराना 239 के आराजी खसरा नम्बर 16 रकवा 0.77, 19 रकवा 0.22, 20 रकवा 0.67, 5 रकवा 0.26, 7 रकवा 1.57 किता–5 कुल रकवा 3.49 हैक्ट. वाके ग्राम निठारी तहसील बयाना में स्थित है जिसमें वादी प्रार्थी कपूरचन्द 1/3 हिस्से का, मूल अप्रार्थीगण संख्या 1 सियाराम 1/3 हिस्से का, मूल अप्रार्थी संख्या 2 वेदप्रकाश 1/3 हिस्से का सयुंक्त रूप से रिकार्डेड खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है। उक्त वर्णित आराजीयात को प्रार्थी एवं मूल अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने–अपने हिस्से के अनुसार शामिल में काश्त करते चले आ रहे है तथा अपने–अपने हिस्से के अनुसार काश्त कर उपज लेते चले आ रहे है तथा विवादित आरजीयात प्रार्थी एवं मूल अप्रार्थीगण की अविभाजित आराजी है जिसका वाई मीट्स एवं वाउण्डस विभाजन आज तक नहीं हुआ है। उक्त वर्णित आराजीयात आवादी के नजदीक होने व रोड के सहारे स्थित होने से इसकी कीमत अधिक होने से मूल अप्रार्थीगण की नीयत में खराबी आ गयी है मूल अप्रार्थीगण, प्रार्थी से कुछ दिनों से द्वेष रखने लगे है और उसे अनावश्यक रूप से उक्त आराजीयात को जोतने बोने में विघ्न व बाधा उत्पन्न करने लगे है तथा बिना बटवारा हुये उक्त आराजीयात को रहन,वय,मुन्तकिल करने की व अच्छी–अच्छी जमीन पर कब्जा करने पर उतारू है। प्रार्थी ने मूल अप्रार्थीगण से दिनांक 05.06.2025 को उक्त विवादित अविभाजित आराजी के वाई मीट्स एण्ड वाउण्डस विभाजन करने की कहा तो वे साफ इन्कार हो गये तथा खुले आम धमकी दी कि वे विवादित आराजीयात का वाई मीट्स एण्ड वाउण्डस विभाजन नहीं करेगें तथा प्रार्थी को

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

उसके 1/3 हिस्से की कब्जे वाली आराजी से बेदखल कर स्वंय कब्जा करेगें। यदि इसमे सफल नहीं हुये तो बिना विभाजन किए ही उपरोक्त आराजीयात को किसी दीगर व्यक्ति कापे रहन, वय, मुन्तकिल कर देगें। अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने मूल अप्रार्थीगण को ता. फैसला मूल वाद के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जावे कि वे खसरा नम्बर 16 रकवा 0.77, 19 रकवा 0.22, 20 रकवा 0.67, 5 रकवा 0.26, 7 रकवा 1.57 किता–5 कुल रकवा 3.49 हैक्ट. वाके ग्राम निठारी तहसील बयाना में वादी प्रार्थी के 1/3 हिस्से के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा या हस्तक्षेप नहीं करें तथा कब्जा नहीं करें। उक्त विवादित आराजीयात को किसी भी हिस्से को रहन, वय, मुन्तकिल नहीं करें। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने अपना जबाव प्रार्थना पत्र दिनांक 21.07.2025 को पेश कर प्रार्थना पत्र की अधिकांश मदो को अस्वीकार कर अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का ग्राम निठारी तहसील बयाना में स्थित होना व वादी/प्रार्थी 1/3 हिस्से का खातेदार होना स्वीकार है शेष विवरण जिस तरह बयान की है गलत है स्वीकार नहीं है। यह बात स्वीकार है कि प्रार्थी व मूल प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 01 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार काश्त कर उपज लेते चले आ रहे है लेकिन यह बात गलत है कि विवादित आराजी वादी व प्रतिवादीगण की अविभाजित आराजी हो। बल्कि वीसियों साल पूर्व वादी/प्रार्थी व प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के मध्य विभाजन हो गया और उसी समय अपने–अपने हिस्से की डौल मेड कायम कर ली है और उसी अनुसार काश्त करते व उपयोग, उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थी ने इस खण्ड में दूवी जवान में यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से की उपज ले ते आ रहे है इस तथ्य को प्रार्थी ने जानबूझकर छिपाया है और वह क्लीन हैण्ड्स से नहीं आया है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य वीसियों साल पूर्व विभाजन हो गय और अब हम अप्रार्थीगण के नजदीक आ जाने से प्रार्थी की नियत में बदयान्ति हो गई है। प्रार्थी ने यह वाद/प्रार्थना पत्र बिल्कुल झूठा व मौके व कब्जों के तथ्यों को छिपाते हुये प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है। खण्ड संख्या 5 जिस तरह से बयान की है गलत है स्वीकार नहीं है हम अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को दिनांक 05.06.2025 को या अन्य कभी इस खण्ड में वर्णित प्रकार की कोई धमकी नहीं दी है। जब प्रार्थी अपने 1/3 हिस्से को शान्तिपूर्वक काश्त करते व उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है तब उसे किसी प्रकार की धमकी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थना पत्र की खण्ड संख्या 6 गलत है स्वीकार नहीं है यह बात बिल्कुल गलत है कि अप्रार्थीगण लठैत व ताकतवर व्यक्ति हो। जबकि प्रार्थी एक चतुर चालाक व मुकदमेबाज व लठैत व्यक्ति है जो उक्त मुकदमे की आड में हमारी कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहता है। प्रार्थना पत्र की खण्ड संख्या 7 गलत है व स्वीकार नही है। हम अप्रार्थीगण व प्रार्थी अपने–अपने हिस्से को शांतिपूर्वक काश्त करते व उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तब वादी/प्रार्थी को कोई धमकी देने व उसकी पूर्ति न होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थना पत्र की खण्ड संख्या 8 गलत है व स्वीकार नहीं है। हम अप्रार्थीगण व प्रार्थी अपने–अपने हिस्से को शांतिपूर्वक काश्त करते व उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तब प्रार्थी को कोई धमकी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

हमने विद्वान अभिभाषकगणों को सुना। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण 1 व 2 का तर्क है कि विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की सहखातेदारी भूमि है। सहखातेदारी भूमि पर प्रत्येक खातेदार के समान हित

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

निहित है। खातेदारी के प्रत्येक भू भाग पर खातेदारों के समान हित निहित होने से एक खातेदार दूसरे खातेदार को विवादित आराजी से अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द नहीं करा सकता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषकगणों को सुनने के उपरान्त पत्रावली व पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत 2076–79 का गहनता से अध्ययन किया विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की सहखातेदारी भूमि है। यह सही है कि सहखातेदारी भूमि में प्रत्येक खातेदार के समान हित निहित है। सह खातेदार द्वारा दूसरे सह खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना न्यायिक एवं प्राकृतिक सिद्वान्तों के खिलाफ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। न्यायालय हाजा से जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 02.07.2025 इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक.....11/9/25.....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.

उपखण्ड अधिकारी
बयाना

न्यायालय उप जिला कलक्टर बयाना (भरतपुर)